

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सन्मदल/02-58(जीन)/2011/599/
दिनांक: 7/1/12

सेवा में,

प्रबन्धक,

बाबा भृगु महाविद्यालय, पलिया, मऊ।

विषय— बाबा भृगु महाविद्यालय, पलिया, मऊ में स्वदत्तपोषी योजनान्तर्गत प्राचार्य तथा स्नातक स्तर पर मॉडर्निजेशन, संस्कृत, भूगोल, हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, एवं शिक्षाशास्त्र विषयों में प्रवक्ता पद पर चयनित अभ्यर्थियों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 29.12.2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अनिलेखों के आधार पर विधायकप्रधान कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक-09 मई, 2000 के आलोक में 03 अथवा 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्राचार्य पद तथा स्नातक स्तर पर मॉडर्निजेशन, संस्कृत, भूगोल, हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, एवं शिक्षाशास्त्र विषयों में प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि इनके अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अनिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अनिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता का नाम	जन्म-तिथि	शैक्षिक अर्हता	पदनाम
डॉ. देवेन्द्र सिंह	रतन राम कुमाल सिंह	15-07-1949	एम.ए., पी-एच.डी.	प्राचार्य ✓
श्री नवीन कुमार सिंह	श्री नगेन्द्र सिंह	12-04-1981	एम.ए. नेट	प्रवक्ता-मॉडर्निजेशन
डॉ. बाल मुकुन्द मिश्र	श्री दशरथ प्रसाद मिश्र	28.02.1980	एम.ए., पी-एच.डी.	प्रवक्ता-संस्कृत
श्री कृपा शंकर वर्मा	श्री जितेण्डी प्रसाद वर्मा	02.07.1985	एम.ए., एम.फिल.	प्रवक्ता-भूगोल
श्री मनीष कुमार पाण्डेय	श्री बालेश्वर पाण्डेय	05.08.1988	एम.ए., एम.फिल.	प्रवक्ता-हिन्दी
डॉ. रमेशचन्द्र तिवारी	श्री रामनाथ तिवारी	02.07.1972	एम.ए., पी-एच.डी.	प्रवक्ता-समाजशास्त्र
डॉ. सोना पाण्डेय	श्री नरमानन्द पाण्डेय	05.01.1979	एम.ए., पी-एच.डी.	प्रवक्ता- शिक्षाशास्त्र

इसके साथ यह भी सूचित करना है कि चयन प्रक्रिया अपूर्ण होने के कारण अंग्रेजी विषय हेतु चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन पर विचार नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त को सुरंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं राशियां प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित अनिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ ही यह भी सूचित है कि अनुकूल पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेगी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्फ्रिब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,
7/1/12
कुलसचिव